

**मानक शर्तें**

(सन अनुनाम-3, उ० प्र० शरान की पत्र संख्या 7314/14-3-1980/82 दि. 31.12.84 द्वारा निर्धारित)


- 1- भूमि हस्तांतरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति संश्लि/अश्लि/उपश्लि वन भूमि बनी रहेगी।
- 2- प्रस्तावित भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
- 3- वाचक विभाग परतावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं करेगा।
- 4- भूमि का संयुक्त निरीक्षण करने सुनिश्चित कर लिया जाय कि गांभी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैधानिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
- 5- हस्तांतरणीय विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेगा और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित नुकसानों का भुगतान वाचक विभाग को करना होगा।
- 6- भूमि का सीमांकन वाचक विभाग अपने तय से सम्बन्धित जिलाधिकारी की देखरेख में करवायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनायी गयी मुद्दसों आदि का भी देखभाल करेगा।
- 7- हस्तांतरित वन भूमि पर विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तांतरणीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 8- बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जानुओं से भरपूर वन क्षेत्र का हस्तांतरण क्या सम्भव प्रस्तावित न किया जाय। अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा कियाजाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की अतिपूर्ति एवं उन्ना जानुओं से स्वाच्छादित विवरण की अवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तांतरित की जायेगी।
- 9- शिफार्ड विभाग/जल विभाग द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/घोंसों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
- 10- वाचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजन में करने पर वन भूमि तथा बिना किसी प्रकार के प्रतिकार का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता वाचक विभाग को न रहने पर भी हस्तांतरित भूमि तथा उस पर निर्मित मकान आदि Automatic स्वतः बिना किसी प्रतिकार का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यार्पित हो जायेगा।
- 11- सड़क निर्माण के प्रस्ताव पर एलाइन्मेंट तय होने समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त किया जायेगा। असीक्षण अनियन्त "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिनियम मूल्या अभियान्ता, पर्वतीय क्षेत्र, चौड़ी को सम्बन्धित पत्र संख्या 608/सी दिनांक 10.02.82 में विहित आदेशों का फलन भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा जैसे कि जख्य मार्ग बनाना, वन मार्गों का सफुटी कर बदलकर पक्का करना होगा, बशर्तें ऐसा करना वाचक विभाग के चार्ज से पर्याप्त न हो और गई सड़क का निर्माण ही आवश्यक हो।
- 12- वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रस्ता मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र को आधार पर आकलित होगा, जो वाचक विभाग को मान्य होगा।
- 13- वन भूमि पर खड़े कुओं का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन विभाग अथवा वन विभाग अथवा अन्य कोई सम्पुक्त प्रकिया जो वन विभाग उचित समझे, द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से कुओं का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका फलन आवश्यक हो तो वाचक विभाग द्वारा कुओं का बालाव माय मूल्य देय होगा।

शील कृष्ण धवन / Shree Krishna Dhawan  
 वरिष्ठ प्रबंध (रिटेल सेल्स) / Sr. Manager (Retail Sales)  
 इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. (एच.डी.)  
 Indian Oil Corporation Limited (M.D.)  
 35-ए, कमला नेहरु मार्ग / 35-A, Kamla Nehru Marg  
 बरेली-243001 (उ.प्र.) / Bareilly-243001 (U.P.)

प्रतिहस्तांतरित  
 Srinivas Reddy  
 जिलाधिकारी  
 वन एवं वन्य जीव प्रभाग  
 सीलीनीत

- 14- हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में वाचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य पुनरोपवन का भुगतान अथवा एक पैट के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिभोजन व्यव जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किये जायें का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30" से अधिक टाल पर खड़े वृक्षों का पालन निषिद्ध है इसी प्रकार बीज के पैड़ों का पालन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पालन का निरोधन वन संरक्षक सार पर ही हो सकेगा।
- 15- वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या कर्मियों को उचित कटना सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पैड़ों की संख्या संयुक्त स्वतंत्र निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर उपस्थित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
- 16- यदि नहर ज़ादि निर्माण में न्यून-दाग की सम्भावना होती है, और नहर की दोनों पट्टियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा वाचक विभाग अपनी व्यव से स्वयं करायेगा।
- 17- उपरोक्तिलिखित मानक कार्यों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा कम्पा वन विभाग द्वारा किसी निश्चित प्रकार में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो वह वाचक विभाग को मान्य होगी।
- 18- वन विभाग का वार्षिक हस्तान्तरण रसी किया जाये जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा लिखित रूप से आवश्यकता प्राप्त हो जायें।

तिथि / / 2017  
 स्थान

प्रतिहस्ताकरि  
  
 वन एवं वन्य जीव प्रभाग  
 प्रोत्साहित

श्रील कृष्ण धव्व/Sheel Krishna Datta in  
 (श्रील कृष्ण धव्व) Sr. Manager (Retail)  
 इन्फ्लेमन्ट मनेजर  
 इन्फ्लेमन्ट ऑपल कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
 बरत 243001 (पुनः पुनः 243001 (U.P.)